न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 133/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/277
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 17.03.2025

1. पंकज पुत्र कुमरदयाल जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कुमरदयाल पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी खांगरी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री जगदीशचंद एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री लक्ष्मणसिंह एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2590, 2314, 2404/3398, 2594, 1624, 2173, 2216, 2227, 2266, 2410, 2412, 2713, 303, 304, 306, 307, 2531, 2532, 2393, 2400, 2491, 2492, 2404, 2405, 2409, 305, 1606, 2414, 1031, 2181, 2417, वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कि समिमलित खातेदारी काश्तकारी कि आराजी है। जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सजरा वाद प्रार्थना पत्र पर अंकित है।
4. यह है कि प्रार्थी के पिता कुमरदयाल द्वारा दो शादी की गई थी। जिसमें प्रार्थी की माता श्रीमति मुकेश फौत हो चुकी है। जिसका प्रार्थी एक मात्र पुत्र है। प्रार्थी की माता मुकेश फौत होने पर प्रार्थी के पिता अप्रार्थी स. 1 कुमरदयाल द्वाराअपनी दूसरी शादी करली जिससे एक पुत्री व दोपुत्र हुऐ।

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि विवादित आराजी पैत्रिक सम्पति की आराजी है जिस पर कर्ता खानदान हो के कारण विवादित आराजी में अप्रार्थी स. 1 के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी चले आ रहे है। चूकि अप्रार्थी स. 1शराबी फिजूल खर्चीला टाईप का व्यक्ति है। जिसके कारण वह विवादित आराजी को अपनी दूसरी पत्नि के पुत्र व पुत्रियो को प्रतिवादी स. 4 लगायत 6 से साज करते हुऐ न्यारानूर कराने पर आमादा है। तथा प्रार्थी के हिस्से से महरूम करने पर आमादा है। जिसका कि अप्रार्थी स. 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। क्योकि अप्रार्थी स. 1 विवादित आराजी में जन्म से वाहिससा हिन्दू उत्तराधिकार अधि. के तहत बनता है। ऐसी सिथिति में प्रार्थी विवादित आराजी में चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थी अपने आप को फुभरदयाल के हिससे की आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्त कार घोषित कराने का मुशतक है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा पाने का अधिकारी है।

6. यह है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को मुकाम खांगरी में दिनांक 25.07.2022 को धमकी दी गई कि वह प्रतिवादी स. 4 लगा. 6 से साज कर विवादित आराजी को रहनबय मुन्तकिल कर देगें। तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर देंगें। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी। अत प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 स्वीकार है, लेकिन सफलता की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम खांगरी होना स्वीकार है।
3. यह कि विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी है जो अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिए रजि0 वयनामा व जरिये रजि0 दानपत्र से दिनांक 24.03.2017 को प्राप्त की। उक्त आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। सजरा प्रार्थी का सही है लेकिन आराजी के जरिए रजि0

17/3/25

वयनामा व दानपत्र से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त करने से सजरे का कोई महत्व नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि वाके खांगरी प्रार्थी की पैतृक आराजी न होकर अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी है जो अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिए रजि0 वयनामा व दानपत्र प्राप्त की है। प्रार्थी का विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के जीते जी कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि विवादित आराजी पैतृक नहीं है। विवादित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के जीते जी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का भी कोई हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से अलग रहता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 को विवादित आराजी विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी में प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी विवादित आराजी में कभी भी हिस्से पर अपने आप को खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है। और न ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी अधिकार को कलमजन करा पाने का अधिकारी है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 तथा 2066–69 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम खांगरी पेश किए गए।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–77 व मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम खांगरी व फोटोप्रति दानपत्र व वयनामा दिनांक 24.03.2017 पेश किए गए।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2590, 2314, 2404/3398, 2594, 1624, 2173, 2216, 2227, 2266, 2410, 2412, 2713, 303, 304, 306, 307, 2531, 2532, 2393, 2400, 2491, 2492, 2404, 2405, 2409, 305, 1606, 2414, 1031, 2181, 2417, वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम खांगरी पेश की गई जिसमें उक्त विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 कुमरदयाल पुत्र चरनसिंह जाति जाट साकिन खांगरी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2066–69 पेश की गई जिसमें विवादित आराजीयात पर चरनसिंह पुत्र कुंदन जाति जाट की खातेदारी का अंकन है। इस प्रकार उक्त विवादित

17/3/25

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात प्रार्थीया के बाबा मृतक चरनसिंह के नाम पूर्व में खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है। जो कि पैतृक आराजीयात है। प्रार्थी के पिता कुमदरयाल पुत्र चरनसिंह के दो पत्नी थी। पहली पत्नी मुकेश जो कि प्रार्थी की माता है जो फौत हो चुकी है। तथा दूसरी पत्नी दयावती है जिसके एक पुत्री व दो पुत्र हैं। प्रार्थी के बाबा चरनसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जरिए दानपत्र व बयनामा दिनांक 29.11.12 एवं 24.03.17 को किया गया है। चूंकि उक्त आराजीयात प्रार्थी के बाबा चरनसिंह के नाम रही है जो चरनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में प्रार्थी के पिता कुमरदयाल के नाम की गई है। अतः विवादित आराजीयात पैतृक सिद्ध होने से प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित होता है। चूंकि प्रकरण खातेदारी घोषणा का है। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तथा दोनों पक्षकारों के साक्ष्य जिए जाकर वाद का निस्तारण मेरिट पर किया जावेगा तब तक वाद की महत्वता को बनाए रखने एवं आराजीयात की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। हेतु विवादित आराजीयात अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जाता है प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का कुठाराघात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्राथीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2022 को ताफैसला मुकदमा वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

17/3/25
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

1305